



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2677]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2018/आषाढ़ 22, 1940

No. 2677]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2018/ASHADHA 22, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2018

का.आ. 3448(अ).—स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 1761(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, तालिका के पश्चात निम्नलिखित टिप्पणी को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

“टिप्पणी: ट्रामाडोल के लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं/आयताकों/निर्यातकों को सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से 120 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस अधिसूचना के प्रावधानों के तहत शामिल किया जाएगा।”

[फा. सं. एन- 11012/3/2017-एनसी II]

तपन कुमार सतपथी, अवर सचिव

टिप्पणी : स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची को पहली बार का.आ. 785(अ), दिनांक 26 अक्टूबर 1992 के माध्यम से संशोधित किया गया तथा इसके पश्चात का.आ. सं. 49(अ), दिनांक 08 जनवरी 1993, का.आ. 39(अ), दिनांक 12 जनवरी 1996, का.आ. 475(अ), दिनांक 11 जून 2003, सा.का.नि. 621(अ), दिनांक 01 अगस्त 2003, सा.का.नि. 1(अ), दिनांक 02 जनवरी 2004, का.आ. 311(अ), दिनांक 10 फरवरी 2011, का.आ. 376(अ), दिनांक 05 फरवरी 2015, का.आ. 2374(अ), दिनांक 12 जुलाई 2016, का.आ. 1383(अ), दिनांक 02 मई 2017, का.आ. 821(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018 तथा का.आ. 1761(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2018

S.O. 3448(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 26th April, 2018 *vide* number S.O. 1761(E), namely: -

In the said notification, after the Table, the following Note shall be inserted, namely: -

“Note : The licensed manufacturers, importers and exporters of Tramadol shall be covered under the provisions of this notification after the expiry of a period of 120 days from the date of its publication in the Official Gazette.”.

[F. No. N-11012/3/2017-NC. II]

TAPAN KUMAR SATPATHY, Under Secy.

Note : The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was first amended *vide* number S.O. 785(E), dated the 26th October, 1992 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 49(E), dated the 8th January, 1993, S.O. 39(E), dated the 12th January, 1996, S.O. 475(E), dated the 11th June, 2003, G.S.R. 621(E), dated the 1st August, 2003, G.S.R. 1(E), dated the 2nd January, 2004, S.O. 311(E), dated the 10th February, 2011, S.O. 376(E), dated the 5th February, 2015, S.O. 2374 (E), dated the 12th July, 2016, S.O. 1383 (E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 821(E), dated the 27th February, 2018 and S.O. 1761(E), dated the 26th April, 2018.